व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण

1 दिसंबर, 2006

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) को देश की शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग मानता है। देश की बदलती स्थिति में अगर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को अपनी भूमिका असरदार ढंग से निभानी है और अगर भारत को अपनी जनसंख्या में युवा आबादी के बढ़ते अनुपात का लाभ उठाना है तो व्यावसायिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंगों को स्पष्ट करना तत्काल बेहद ज़रूरी है। असल में व्यावसायिक शिक्षा को लचीला, आज की आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रासंगिक, सबको साथ लेकर चलने वाली और रचनात्मक शिक्षा का रूप देना आवश्यक है। सरकार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका को समझती हैं और इस सिलसिले में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उद्योगों के समूहों, शिक्षा शास्त्रियों, समाज और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ विचार–विमर्श करके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इन प्रयासों को मज़बूत करने के साधनों पर विचार किया है और निम्नलिखित दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतियों की सिफारिश करता है:

1. **व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत रखना:** मानव संसाधन विकास में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की भूमिका को देखते हुए और शिक्षा की दूसरी धाराओं के साथ उसके संबंधों के महत्व को समझते हुए सरकार उसके सभी पहलुओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत रखने पर को विचार कर सकती है। इस समय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ–साथ श्रम मंत्रालय के तहत भी रखा गया है जिसके कारण इसका प्रबंध इधर–उधर बँटा रहता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय रणनीति बनाने, सरकार को सलाह देने और टैक्नॉलॉजी तथा कर्मचारियों के विकास से जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ चलाने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा नियोजन और विकास संस्थान की स्थापना पर विचार कर सकता है।

2. **निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा के दायरे में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का लचीलापन बढ़ाना:**
   - क. सामान्य शिक्षा के पहलुओं (जैसे, गिनती और गणित के कौशल) को जहाँ तक हो सके वीईटी और प्रशिक्षण के दायरे में रखना चाहिए ताकि बाद में विद्यार्थी शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
   - ख. अलग–अलग शैक्षिक स्तर तक पढ़े–लिखे विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक्स में अलग–अलग पाठ्यक्रम होने चाहिए।
   - ग. कुछ ट्रेड्स में भर्ती के लिए प्रवेश शर्तें उस ट्रेड की ज़रूरतों के अनुरूप होनी चाहिए (जैसे, कुछ मामलों में कक्षा 10 तक पढ़े होने की शर्त को कक्षा 8 तक किया जा सकता है)। विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में बार–बार प्रवेश करने और उसे छोड़ने का विकल्प मिलना चाहिए।
   - घ. व्यावसायिक शिक्षा धारा और स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच संपर्क कायम किया जाना चाहिए।
   - ङ. प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर कुछ कौशल सिखाने के पाठ्यक्रम सभी स्कूलों में शुरू किए जाने चाहिए।
   - च. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
   - छ. कम समय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन भर कौशल सुधारने की योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
   - ज. विभिन्न कौशलों में पारंगत व्यक्तियों का एक काडर बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. **व्यावसायिक शिक्षा का प्रभाव मापना और उनकी निगरानी करना:** समय–समय पर आँकड़े इकट्ठे करके उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि प्रशिक्षण से कितना रोजगार प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाने वाले लोगों को मिलने वाले विशेष अथवा और अन्य लाभों के ठोस प्रमाण; प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों के उपयोग; प्रशिक्षण के बाद रोजगार का स्वरूप; और विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता आदि के बारे में निरंतर सुधार के लिए आवश्यक हैं। मानव शक्ति का विस्तृत विश्लेषण यह समझने के लिए बेहद आवश्यक है कि किस तरह की व्यावसायिक शिक्षा की किस हद तक ज़रूरत है और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों कौशलों और श्रम बाजार

की ज़रूरतों के बीच कितना बड़ा अंतर है। प्रस्तावित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा नियोजन संस्थान इस तरह के अध्ययन करा सकता है।

4. **व्यावसायिक शिक्षा के लिए संसाधनों का आवंटन बढ़ानाः** प्रति व्यक्ति लागत की दृष्टि से व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा से महँगी पड़ती है, फिर भी सामान्य सेकेंडरी शिक्षा की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बेहद कम है। मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में दक्ष जनशक्ति की माँग को देखते हुए सरकार को शिक्षा पर अपने कुल सार्वजनिक खर्च का कम से कम 10–15 प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण योजना के लिए धन राशि का प्रावधान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता हैः

   क. फीस बढ़ाना और विद्यार्थियों के लिए ऋण योजनाओं की व्यवस्था करना। इस तरह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बाजार की ज़रूरतों पर और अधिक ध्यान देंगे।

   ख. रोजगार देने वालों पर शुल्क के माध्यम से धन जुटाना (उदाहरण के लिए सिंगापुर की तरह सभी कर्मचारियों के वेतन का दो प्रतिशत)।

   ग. कंपनियों के लिए सार्वजनिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए धन देना अनिवार्य करना (कोरिया की तरह)।

5. **अभिनव डिलीवरी मॉडल्स के माध्यम से क्षमता बढ़ानाः** कुशल और अकुशल श्रमिकों की जबर्दस्त माँग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण देने की क्षमता में विशाल वृद्धि करना आवश्यक है। सरकार, सार्वजनिक–निजी भागीदारी, विकेन्द्रित डिलीवरी, दूरस्थ शिक्षा और कम्प्यूटर की मदद से व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे नए–नए तरीके अपनाकर क्षमता बढ़ा सकती है। साथ ही सरकार को क्वालिटी के लिए कुछ न्यूनतम मानक तय करने चाहिए और इस बात की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाले सभी सार्वजनिक और निजी संस्थान इन मानकों का पालन करें।

6. **असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों का दायरा बढ़ानाः** सबसे बड़ी चुनौती असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के लिए आने वालों को प्रशिक्षण देने की है जिनका रोजगार के मामले में सबसे बड़ा अनुपात है। असंगठित क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल सिखाने की पक्की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन कौशलों को औपचारिक ढंग से पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। इस काम में सरकार को अभिप्रेरक की भूमिका निभाते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए। कुल मिलाकर व्यवस्था की सफलता के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के इस पहलू का बहुत अधिक महत्व है।

7. **वर्तमान संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करनाः** मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आईटीसी) में प्रशिक्षकों के खराब स्तर, लचीलेपन के अभाव, पुरानी पड़ गई बुनियादी सुविधाओं आदि की समस्याएँ जग–जाहिर हैं। मौजूदा संस्थानों को सुधारने के कुछ उपाय इस प्रकार हैंः

   क. कामकाज में स्वायत्ता का स्तर बढ़ाना ज़रूरी है। आईटीआई संस्थानों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बदलने और मज़बूत करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वे स्थानीय बाजार की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

   ख. अच्छे निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भीतरी और बाहरी कार्य कुशलता के संकेतक विकसित किए जाने चाहिए (प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान द्वारा)।

   ग. सभी पाठ्यक्रमों में कार्यस्थल की ज़रूरतों के अनुसार साक्षरता, अंकज्ञान, संचारदक्षताओं उद्यम चलाने और अन्य सामान्य कौशलों के मॉड्यूल शामिल किए जाने चाहिए।

   घ. पाठ्यक्रमों के भीतर अलग–अलग स्तर की विशेषज्ञता के लिए अलग–अलग उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए।

   ङ. विद्यार्थियों को उनके डिग्री/डिप्लोमा के भाग के रूप में औजार, व्यापार संघों की सदस्यता आदि जैसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

   च. उद्योगों और व्यापार क्षेत्र की भागीदारी को न सिर्फ इंटर्नशिप के स्तर पर, बल्कि परीक्षाओं और नौकरी दिलाने के समय भी बढ़ाया जाना चाहिए।

   छ. पाठ्यक्रम की लगातार निगरानी और उसमें निरंतर सुधार होना चाहिए।

   ज. सिखाए जाने वाले कौशलों और पाठ्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा होनी चाहिए। इस समय सिखाए जा रहे कौशलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

   झ. पढ़ाने का काम अंग्रेजी और साथ ही स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए।

ञ. बुनियादी सुविधाओं में नियमित रूप से सुधार किया जाना चाहिए।

ट. शिक्षण की क्वालिटी में आमूल रूप से सुधार किया जाना चाहिए।

8. **मज़बूत विनियमन और प्रमाणीकरण ढाँचा बनानाः** ऊपर जिस स्तर तक आधुनिकीकरण और विस्तार की ज़रूरत बताई गई है, उसे हासिल करने में एक महत्वपूर्ण पहलू नई संस्थाओं के प्रवेश को विनियमित करना और सभी संस्थाओं को प्रमाणित करना है। अतः राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सिफारिश करता है कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक स्वतंत्र विनियमन एजेंसी गठित की जाए। यह एजेंसी प्रमाणीकरण एजेंसियों को लाइसेंस देगी और प्रमाणन के मानक तय करेगी। इस संस्था को सरल और पारदर्शी तरीके तथा विधियाँ अपनानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र का बेरोक–टोक विकास हो सके।

9. **उचित प्रमाणन सुनिश्चित करनाः** इस समय प्रमाणन की प्रक्रिया की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी वी टी) और राज्यों की व्यावसायिक शिक्षण परिषदों के हाथ में है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर की व्यावसायिक प्रशिक्षणों परिषदों और रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय की भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण ज़रूरी है ताकि प्रमाणन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। भारत में और विदेश में भी रोजगार देने वाली कंपनियों से इस प्रमाण पत्र को मान्यता दिलाने के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदाताओं का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बनाने और प्रमाणित श्रमिकों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान करने की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पहचान में प्रमाणित व्यक्ति के बारे में कौशल और योग्यता (और अन्ततः अन्य उपयोगी सूचनाएँ भी) के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसका उपयोग श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने, बैंक के साथ संपर्क को बढ़ावा देने और उद्यम लगाने से जुड़े प्रयासों आदि के लिए किया जा सकता है।

10. **इसे नई पहचान दिलाने के प्रयास करनाः** सब जानते हैं कि भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ जुड़ी एक बड़ी समस्या यह है कि हाथ से काम करने के कारण इसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता। आधुनिक युग में कौशलों की ज़रूरतों और कर्मचारियों की स्पर्धा शक्ति का आपस में मेल बिठाने के लिए इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर नई पहचान दिलाने की कोशिशों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय कौशल मिशन का यह मुख्य काम होना चाहिए। **व्यावसायिक शिक्षा** की जगह **कौशल विकास** जैसे शब्दों का उपयोग करना इस दिशा में सही कदम है। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों के कैरियर का रास्ता निर्धारित करने और उद्यमशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल अपनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सार्वजनिक और निजी निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ावा देना आवश्यक है। इस बारे में मास्टर प्लान बनाने और 11वीं योजना में व्यय की मात्रा तय करने से पहले संख्या, कौशल और स्पर्धा की दृष्टि से जनशक्ति की ज़रूरत का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एकव्यवहार्य और समर्पित संसाधन के रूप में एक मज़बूत ढाँचा बनाना उत्तम क्वालिटी सुनिश्चित करने और काफी हद तक निजी निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना एक पूर्वापेक्षा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की क्वालिटी और उसकी छवि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि इसे सामान्य सेकेंडरी शिक्षा के जितना ही उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जा सके।